क्रम संख्या—576

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 अगस्त, 1985

श्रावण 30, 1907 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1432/सत्रह-वि0-1-1(क)-6-85

लखनऊ, 21 अगस्त, 1985

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 20 अगस्त, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1985)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2 का खण्ड (क) और खण्ड (ख) (2) और धारा 4, 5 और 6 अट्ठारह मई, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 3 पांच जनवरी, 1985 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी, धारा 2 का खण्ड (ख) (1) छब्बीस अप्रैल, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,--

(क) उपधारा (1) में,--

(एक) प्रारम्भिक वाक्य में, शब्द "की कोई बात" के पश्चात् शब्द "निम्नलिखित पर लागू न होगी, अर्थात्" रख दिये जायेंगे और उपधारा के अन्त में आये हुए शब्द "पर लागू न होगी" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:-

"(क) किसी भवन पर जिसका मकानदार सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र का कोई निगम हो ; या"

(ख) उपधारा (2) में,--

(1) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी भवन का निर्माण 26 अप्रैल, 1985 को या उसके पश्चात् पूरा हो, वहां इस उपधारा में दस वर्ष की अवधि के निर्देश को उस दिनांक से जब उसका निर्माण पूरा हो, बीस वर्ष की अवधि का निर्देश समझा जायगा ।"

(2) स्पष्टीकरण 1 में, शब्द "इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये" के स्थान पर शब्द "इस धारा के प्रयोजनों के लिए" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, खण्ड (थ) में, शब्द "का तात्पर्य" के पश्चात् शब्द "भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, या" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 4 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "8 और 10" के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "8, 9-क और 10" रख दिये जायेंगे ।

धारा 10 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द और अंक "8 तथा 9" के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "8, 9 और 9-क" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 9" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 9-क" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 21 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) में, उसके स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:--

"(iii) यदि किसी भवन का मकानदार--

(1) कार्यरत या सेवा निवृत्त भारतीय सैनिक जैसा भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925 में परिभाषित है, हो और ऐसा भवन उसकी सेवा निवृत्ति के पूर्व किसी भी समय किराये पर दिया गया हो, या

(2) किसी ऐसे सैनिक की विधवा हो और ऐसा भवन उसके पति की सेवा-निवृत्ति या मृत्यु के, जो भी पहले घटित हो, पूर्व किसी भी समय किराये पर दिया गया हो,

और ऐसे मकानदार को अपने या अपने परिवार के सदस्यों के आवासिक प्रयोजनों के लिये ऐसे भवन की आवश्यकता हो तो उसका अभ्यावेदन कि उसे अपने या अपने परिवार के सदस्यों के आवासिक प्रयोजनों के लिये ऐसे भवन की आवश्यकता है, खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिये पर्याप्त समझा जायगा और यदि ऐसा मकानदार एक से अधिक भवन का स्वामी है तो यह उपबन्ध केवल एक भवन के सम्बन्ध में लागू होगा ।"

तर प्रदेश
ध्यादेश
ख्या 9
न् 1985;

7—(1) उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
वी0एल0 लूम्बा,
सचिव।

No. 1432 (2)/XVII-V-1—1(KA)-6/1985

Dated Lucknow, August 21, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shahari Bhavan Kiraye per Dene, Kiraye tatha Bedakhali Ka Viniyaman (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 17 of 1985), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 20, 1985 :

THE UTTAR PRADESH URBAN BUILDINGS (REGULATION OF LETTING, RENT AND EVICTION) (AMENDMENT) ACT, 1985

[U. P. Act no. 17 of 1985]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972.

It is hereby enacted in the Thirty-sixth Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) (Amendment) Act, 1985. Short title and commencement.

(2) Clause (*a*) and Clause (*b*)(ii) of section 2 and sections 4, 5 and 6 shall be deemed to have come into force on May 18, 1983, section 3 shall be deemed to have come into force on January 5, 1985, clause (*b*)(i) of section 2 shall be deemed to have come into force on April 26, 1985 and the rest of the provisions shall come into force at once.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) Act, 1972, hereinafter referrred to as the principal Act,— Amendment of section 2 of U.P. Act no. 13 of 1972.

(*a*) in sub-section (1),—

(i) in the opening sentence, *after* the words "apply to" the words "the following, namely : —" shall be *inserted*;

(ii) *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*a*) any building of which the Government or a local authority or a public sector corporation is the landlord ; or"

(*b*) in sub-section (2),—

(i) *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided further that where construction of a building is completed on or after April 26, 1985 then the reference in this sub-section to the period of ten years shall be deemed to be a reference to a period of twenty years from the date on which its construction is completed."

(ii) in Explanation 1, *for* the words, "For the purposes of this sub-section" the words "For the purposes of this section" shall be *substituted*.

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act, in clause (*q*), *after* the word "means" the words "any University established by law in India, or" shall be *inserted*.

Amendment section 4.

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the word and figures "8 and 10" the word, letter and figures "8, 9-A and 10" shall be *substituted*.

Amendment section 10.

5. In section 10 of the principal Act,—

(*a*) in the marginal heading, *for* the words and figures "8 and 9" the word, letter and figures "8, 9 and 9-A" shall be *substituted* ;

(*b*) in sub-section (1), *after* the word and figure "section 9" the words, figure and letter "or section 9-A" shall be *inserted*.

Amendment section 21.

6. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), in the Explanation, thereto, *for* clause (iii), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(iii) where the landlord of any building is—

(1) a serving or retired Indian Soldier as defined in the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925 and such building was let out at any time before his retirement, or

(2) a widow of such a soldier and such building was let out at any time before the retirement or death of her husband, whichever, occurred earlier,

and such landlord needs such building for occupation by himself or the members of his family for residential purposes, then his representation that he needs the building for residential purposes for himself or the members of his family shall be deemed sufficient for the purposes of clause (*a*), and where such landlord owns more than one building this provision shall apply in respect of one building only."

Repeal and saving.

7. (1) The Uttar Pradesh Urban Buildings (Regulation of Letting, Rent and Eviction) (Second Amendment) Ordinance, 1985, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done of any action taken under the provisons is one of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 121 सा० (त्रिभा०)—(1659)—1985—850 (मक०)।